


झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-338/CS/Res, दिनांक-25.05.2021 के द्वारा राज्य में लागू "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की अवधि दिनांक-03.06.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक विस्तारित की गई है। इसलिए मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-234/CS/Res, दिनांक-12.05.2021 के द्वारा राज्य में परिवहन सेवा पर लागू प्रतिबंध "Interstate and Intrastate bus transport shall be prohibited except for the buses specifically used by district administration." यथावत लागू रहेगा। इस क्रम में सभी 'अन्तर्राज्यीय' तथा 'राज्य के अन्दर' चलने वाली बसों का परिचालन दिनांक-03.06.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त के आलोक में सभी यात्रियों/बस चालकों/वाहन मालिकों को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।


26/05/21
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।